भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1900
दिनांक 11मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

बिहार में भूमि सुधार और डिजिटल पहलों का कार्यान्वयन

1900. श्री राजीव प्रताप रूडीः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्रीय बजट यथाघोषित बिहार के सभी भूखंडों के लिए भूमि पार्सल पहचान संख्या (यूएलपीआईएन), जिसे भू- आधार नाम दिया गया है, के आवंटन में क्या प्रगति हुई है;

(ख) बिहार में कितने कैडस्ट्रल मानचित्रों को डिजिटलीकृत किया गया है और शेष सभी मानचित्रों के डिजिटलीकरण को पूरा करने की समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या बिहार में वर्तमान स्वामित्व के आधार पर मानचित्र उप-विभाजनों का सर्वेक्षण पूरा हो गया है और यदि नहीं, तो कितने प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है और उसे कब तक पूरा किए जाने की उम्मीद है;

(घ) सरकार द्वारा बिहार में एक व्यापक और पारदर्शी भूमि रजिस्ट्री प्रणाली स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) गत वित्तीय वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बिहार में इन पहलों के लिए निधि किस प्रकार आवंटित और प्रयुक्त की गई है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

राजस्व और भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना और भूमि संसाधन विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार:-

(क) बिहार राज्य के सभी भूकर सर्वेक्षण मानचित्रों के कुल 3,62,94,116 भूखंडों/प्लाटों के लिए विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) विनिर्दिष्ट की गई हैं।

(ख) बिहार में सभी 1,35,865 भूकर मानचित्रों के डिजिटलीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। राज्य ने भूकर मानचित्रों के 100% डिजिटलीकरण का कार्य पूरा कर लिया है।

(ग) राज्य सरकार, मानचित्रों में दर्शाए गए प्रत्येक खसरा की वर्तमान स्वामित्व स्थिति को दर्शाने के लिए एक विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कुल 43041 राजस्व गांवों में से 661 राजस्व गांवों के संबंध में अधिकारों के अंतिम अभिलेख और अद्यतन स्वामित्व के अनुसार मानचित्रों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है।

(घ) राज्य में 137 सब रजिस्ट्रार कार्यालय (एसआरओ) हैं और सभी भूमि अभिलेख डेटाबेस के साथ एकीकृत हैं। राज्य ने अपनी एक व्यापक और पारदर्शी भूमि रजिस्ट्री प्रणाली स्थापित की है जिसके प्रमुख कार्यों में, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना, नागरिकों, भूस्वामियों और सरकारी अधिकारियों के लिए रजिस्ट्री रिकॉर्ड तक पहुंच के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन मंच लागू करना, सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को सक्षम करना, मजबूत सुरक्षा उपायों को शामिल करना और हितधारकोंको शामिल करके चल रहे रखरखाव कार्यों और अपडेट प्रदान करना, शामिल हैं।

(ङ) डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) एक मांग-प्रेरित योजना है और राज्यों को, उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, धन जारी किया जाता है। भूमि संसाधन विभाग ने बिहार को 154.90 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। राज्य सरकार ने 2023-24 और 2024-25 के दौरान निधि जारी करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है क्योंकि राज्य के पास पहले से ही डीआईएलआरएमपी के तहत पर्याप्त शेष राशि थी। बिहार राज्य द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 (04.03.2025 तक) में क्रमशः 16.82 करोड़ रुपये और 20.41 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। राज्य के पास 03.03.2025 तक डीआईएलआरएमपी के तहत 35.34 करोड़ रुपये का अव्ययित शेष है।

*****